20 जून 2007 को संपन्न
स्पाइसेस बोर्ड की 60 वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्पाइसेस बोर्ड की 60 वीं बैठक बोर्ड के कार्यालय, कोचिन में 20 जून 2007 को दोपहर 2.45 बजे आयोजित की गई ।

श्री. वी.जे.कुरियन, भा.प्र.से,अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक की अध्यक्षता की ।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्री. साजन कुरियन — उपाध्यक्ष
2. श्री.अनन्त कुमार हेगडे, — सदस्य
3. श्री.जोर्ज जोसफ, भा.प्र.से — "
4. डॉ. वी.ए.पार्थसारथी — "
5. श्री. आर .के. पाण्डे (श्री. वी.डी.आलम के प्रतिनिधि) — "
6. श्री. टी.अशोक कुमार — "
7. श्री. एन.जहाँगीर — "
8. श्री.डी.एम.कतिर आनन्द — "
9. डॉ. के.वी. पीटर — "

निम्नलिखित को अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई :

1. श्रीमती. दग्गुवती पुरंदरेश्वरी — सांसद(मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता)
2. श्री.के.पी.के. कुमारन, — सांसद (रा.स)
3. श्री. प्रशान्त गोयल, भा.प्र.से
4. डॉ. एम.एल चौधरी
5. डॉ. वेणु.एस. परमार
6. श्री. राजीव धर
7. डॉ.वी.प्रकाश
8. श्री. के. जयकुमार, भा.प्र.से
9. डॉ. यू. वेंकटश्वरलू
10. श्री. बलकरन पटेल

अनुपस्थित

1. श्री विश्वनाथ ओक्ते
2. श्री. एन.वी. शिवराम रेड्डी

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे

1. श्री. वी.के.के.नायर, सचिव
2. श्री. एस.कण्णन, निदेशक(विपणन)
3. श्री.पी.टी.जोण, निदेशक (विकास)
4. श्री. चार्ल्स जे. कित्तु, निदेशक (वित्त)
5. डॉ. जे.थॉमस, निदेशक (अनुसन्धान)

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद कार्यसूची मदों पर विचार किया गया ।

मद सं.1: 15-2-2007 को संपन्न बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

पुष्टि की गई ।

मद सं.2: 15-2-2007 को संपन्न बोर्ड की बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाइयों पर टिप्पणी ।

नोट की गई ।

मद सं. 3 : 2006-07 के दौरान निर्यात निष्पादन

बोर्ड ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान मसालों के निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि और वर्ष 2006-07 केलिए निर्धारित लक्ष्य नोट किया ।

मद सं.4 : 1-4-06 से 31.3.07 तक की अवधि केलिए बोर्ड की अंतिम लेखा

अनुमोदन किया गया ।

मद सं .5 : केरल के इडुक्की जिले में स्पाइसेस पार्क

इडुक्की जिले में स्पाइसेस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया गया । यह मुख्यतः कालीमिर्च और इलायची केलिए है, प्रसंस्करण और अधिक मूल्य-संवर्धन इसके मुख्य उद्देश्य हैं । व्यक्तिगत यूनिटों की स्थापना करनेवाले उद्यमियों केलिए गुणवत्ता जाँच, सीमाशुल्क अनुमति आदि सुविधाओं के साथ अविरत और पर्याप्त बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग, भण्डारण, पैकिंग सुविधाएँ जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी ।

ऐसे पार्कों व मसालों के प्रसंस्करण केलिए अन्य सुविधाओं के निर्माण से भारत को मुख्य मसाला प्रसंस्करण केंद्र बनाने का विचार है । भारत विश्व के लगभग सभी मसालों का एकमात्र उत्पादक है । फिर भी, पिछले कुछ वर्षों से भारत में मसालों के उत्पादन में कमी होने से संबन्धित टिप्पणी पर, अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कृषि मंत्रालय/एन एच एम के जरिए निर्यात माँग की पूर्ति केलिए घरेलू उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु कुछ कदम उठाने हैं ।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु जैसे अन्य प्रमुख मसाला उत्पादक राज्यों में समान स्पाइसेस पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संबन्धित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाय ।

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद सं.6 : मुम्बई में क्षेत्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि बोर्ड का मसालों के नमूनों की जाँच की प्रक्रिया को तेज बनाने केलिए मुम्बई में एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने का इरादा है । समान गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ अन्य स्थानों में, जैसे गुण्टूर, दिल्ली, चेन्नई कोलकत्ता आदि में यथासमय स्थापित की जाएंगी ।

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद सं. 7: उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में दो कंपनियों में ईक्विटी प्रतिभागिता

मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित निर्यात संवर्धन योजना के अधीन बोर्ड उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा अन्य पहाडी इलाकों में मसाले कृषकों द्वारा चलाई जानेवाली कंपनियों में एक ईक्विटी प्रतिभागिता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है । इस योजना के अधीन बोर्ड ने असम के करबी आंगलोंग जिले में स्थित मेसर्स काइनोनिया फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और मेसर्स कारबी फामर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का चयन किया है । इन उत्पादक कंपनियों का वित्तीय परिव्यय क्रमशः 5.93 करोड रु. तथा 2.40 करोड रु. है । कोइनोनिया फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में समाला कृषि केलिए प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्र 500 हेक्टयर है और कारबी फामर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मामले में यह 300 हेक्टयर है, जो क्रमशः 600 एवं 400 किसानों को फायदा पहूँचानेवाले है । इस योजना के तहत, बोर्ड बशर्ते कि 1 करोड रुपए से अधिक न हो, 49% ईक्विटी प्रतिभागिता प्रदान करके सहायता देता है । बाकी शेयर पूँजी उपर्युक्त कंपनियों को जुटानी है । तदनुसार, बोर्ड ने नोर्थ ईस्ट डिवेलपमेंट फिनान्स कोरपोरेशन (एल ई डी एफ सी) को एक-एक करोड रुपए दिए हैं जो स्पाइसेस बोर्ड की ओर से इन कंपनियों के शेयर ग्रहण के लिए नामोद्दिष्ट एजेन्सी है । कार्य की प्रगति की सावधि उसकेलिए नियुक्त समिति द्वारा जाँच करने के आधार पर इस राशि का वितरण किस्तों में किया जाएगा । जब कंपनी को लाभ मिलने लगेगा तब स्पाइसेस बोर्ड के पास रखे शेयर कंपनी के कृषक सदस्यों को विनिवेश किया जाएगा और उससे जो राशि प्राप्त होती है उसे भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।

बोर्ड ने यह नोट किया ।

मद सं.8 : कालीमिर्च/कालीमिर्च के मूल्य योजित उत्पादों के निर्यात केलिए डब्ल्यू टी ओ संगत इमदाद योजना

यह स्पष्ट किया गया कि चूँकि हाल में अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है कालीमिर्च केलिए सरकार की ओर से आगे कोई इमदाद नहीं दी जानी है । कालीमिर्च का मूल्य प्रति कि.ग्रा 60-65 रु. से 130-145 रु के वर्तमान स्तर में बढ गया है ।

बोर्ड ने यह नोट किया ।

मद सं.9 : अनिवार्य नमूनन और जाँच को अद्यतन बनाना

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि मिर्च/मिर्च उत्पादों तथा हल्दी पाउडर का अनिवार्य नमूनन और जाँच बोर्ड द्वारा कारगर ढंग से किया गया । यदि परेषण गुणवत्ता अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते तो निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है । मसाले नमूनों में एफ्लाटोक्सिन की मौजूदगी एकदम संवेदनशील एवं गंभीर मामला है । निदेशक(विकास) ने सूचित किया कि मसाले सुखाने केलिए कृषकों को, खासकर कर्नाटक में, मिर्च पॉलिथीन शुष्कक और पॉलिथीन शीट पर्याप्त संख्या में वितरित किए गए । फिर भी, कर्नाटक के कुछ इलाकों, खासकर चिकमंगलूर में मिर्च पॉलिथीन शुष्ककों तथा पॉलिथीन शीटों की माँग बहुत कम है ।

सदस्यों ने तुलना करने हेतु अवधिवार विवरण प्रदान करने का सुझाव किया ।

नोट किया गया ।

मद सं.10 : इलक्ट्रॉनिक नीलाम प्रणाली

इलक्ट्रॉनिक नीलाम प्रणाली पर विस्तृत चर्चा हुई । कार्डमम् प्लान्टर्स एसोसियेशन(सी पी ए), बोडिनायकनूर में जुलाई/अगस्त 2007 के दौरान इसकी शुरूआत करने की उम्मीद है । सदस्यों ने नीलाम में केवल लाइसेंस प्राप्त नीलामकर्त्ताओं तथा व्यापारियों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की इच्छा प्रकट की । यह सूचित किया गया कि कृषकों और नीलामकर्ताओं को पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा और केवल लाइसेंसप्राप्त नीलामकर्त्ताओं को ही नीलाम चलाने हेतु पासवेर्ड प्राप्त होगा । अध्यक्ष महोदय ने इलक्ट्रॉनिक नीलाम प्रणाली को सफलतापूर्वक अमल करने में कृषकों, व्यापारियों और नीलामकर्त्ताओं के सहयोग का अनुरोध किया । बोडिनायकन्नूर में असली इलक्ट्रॉनिक नीलाम चलाने के पहले ज़रूरी परीक्षण चलाने का सुझाव रखा गया ।

मद सं.11: इलायची संवर्धन - आकाशवाणी(रेडियो स्पोट्स और म्यूज़िक जिंगिल्स) और टी वी में स्क्रोल एड्स द्वारा सभी प्रमुख राज्यों में अभियान

विज्ञापनों में स्वाद एवं सुगन्ध की अपेक्षा इलायची के औषधीय और स्वाथ्य संबन्धी गुणविशेषताओं पर जोर देने का सुझाव रखा गया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सिर्फ अनुसन्धान समर्थन के सहारे ही बोर्ड औषधीय और स्वास्थ्य संबन्धी पहलुओं पर केन्द्रित विज्ञापन तैयार कर सकता है और हमने आर आर एल, तिरुवनन्तपुरम से इलायची के औषधीय मूल्यों पर अध्ययन चलाने का अनुरोध किया है और इसकी रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत की जाएगी ।

बोर्ड ने यह नोट किया ।

मद सं.12 : घरेलू और विदेशी विपणियों में इलायची और अन्य मसाले/मसाला उत्पादों के समाकलन, प्रसंस्करण और विपणन हेतु एक कम्पनी को बढावा देना

बोर्ड ने इस मद पर विस्तृत चर्चा की । कंपनी के क्रियाकलापों केलिए सी डी एफ निधि का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव किया गया । सदस्यों ने, कृषकों से अंशदान समाकलित करने हेतु बोर्ड द्वारा कदम उठाए जाने का सुझाव किया चूँकि उनमें से अधिकतर अब निर्धारित अंशदान नहीं दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय, केरल के निदेशों के मुताबिक बोर्ड कृषकों से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही ग्रहण कर सकता है। अधिकाधिक कृषकों को सी डी एफ की ओर आकर्षित करने केलिए बोर्ड सी डी एफ सदस्यों केलिए एक उचित बीमा योजना पेश करने पर विचार कर रहा है । यह भी सुझाव रखा गया कि नई कंपनी स्पाइसेस बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत ब्रैण्ड नाम 'फ्लेवरिट' का प्रयोग करें ।

मद सं 13: <u>छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश में स्पाइसेस पार्क</u>

यह सूचित किया गया कि नौ एकड क्षेत्र के प्रस्तावित पार्क के लिए ज़मीन का उपार्जन पहले किया जा रहा है, साथ ही उचित मूल्य पर अतिरिक्त ज़मीन के उपार्जन की कोशिश भी चल रही है ।

बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद सं.14 : विभागीय पौधशालाओं में रोपण सामग्री के बिक्री मूल्य का निर्धारण

अनुमोदित । सदस्यों ने सुझाया कि कृषकों को सप्लाई की जानेवाली रोपण सामग्री अच्छी गुण्वत्तावाली होनी चाहिए । डॉ. वी.ए. पार्थसारथी ने रोपण सामग्री की जाँच केलिए आई आई एस आर की सेवाएं प्रदान करने का एलान किया ।

मद सं.15 : गुण्टूर में बोर्ड की गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला केलिए जगह देने हेतु स्थाई मकान का निर्माण

अनुमोदित ।

मद सं. 16 : आई सी आर आई, मैलाडुंपारा मकान काँप्लेक्स में जलसह काम

अनुमोदित ।

मद सं.17 : पालारिवट्टम स्थित स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय के मकान के ऊपर छत-कैंची (ऐलुमिनियम रूफिंग) काम

अनुमोदित ।

मद सं. 18 : अप्रैल-मार्च 2005-06 की तुलना में अप्रैल-मार्च, 2006-07 के दौरान भारत में मसालों का आयात

नोट किया गया । श्री. साजन कुरियन, उपाध्यक्ष एवं टी. अशोक कुमार ने बोर्ड से इलायची आयात पर एक नज़र डालने का आग्रह किया चूँकि 91.27 रु. प्रति कि.ग्रा. मूल्य पर इलायची का जो आयात हुआ है बहुत कम प्रतीत होता है और न्यून बीजकीकरण की संभावना की ओर संकेत करता है । अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा इस मामले पर दृष्टि डाली जाएगी । मूल्य, जिसपर उन्होंने इलायची का आयात किया था, सहित इलायची के आयातकों की सूची तैयार की जाएगी । अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि सरकार एवं सीमाशुल्क को यह सुझाया गया था कि आधार-मूल्य 250 रु. तय किया जाय और तदनुसार आयात शुल्क नियत किया जाय ।

मद सं.19 : बोर्ड की बागान श्रम कल्याण योजना- 2007-08 के दौरान योजना को जारी रखना

अनुमोदित ।

मद सं. 20 : स्पाइसेस बोर्ड के ग्यारहवीं योजना प्रस्ताव

नोट किए गए ।

अतिरिक्त मद सं. 1: लिपिक वर्गीय कैडर में सहायकों के पद पर पदोन्नति केलिए फीडर श्रेणियाँ

अनुमोदित ।

सामान्य

श्री. कतिर आनंद ने बोर्ड से निर्यात निर्देशिका में ज़रूरी आशोधन करने का अनुरोध किया चूँकि निर्देशिका में उल्लिखत कई फर्मों के टेलिफोन नंबर एवं पते पुराने हैं । अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि यह जल्दी ही अद्यतन बनाया जाएगा ।

श्री. कतिर आनंद ने बोर्ड से यह भी चाहा कि वह मसाले प्रसंस्करण मशीनरी एवं उनके आपूर्तिकर्त्ताओं से संबंधित जानकारी का संग्रहण एवं प्रसारण करें । निदेशक(विपणन) ने सूचित किया कि बोर्ड ने मशीनरी के विवरण संगृहीत करके मशीनरी प्रोफाइल बनाया है । अध्यक्ष महोदय ने निदेशक (विपणन) से बोर्ड की वेबसाइट में उपलब्ध विवरण प्रकाशित करने को बताया ।

बैठक सायं 5.00 बजे समाप्त हुई ।

. . . . . .